

16-
22

आज यह पत्रावली देख्य हुई। वाडी
एवं वाडी वहील अनुपस्थित।
न्यायालय में बार-बार आवाज
लागवाने के बावजूद साथ 5.00 बजे
तक वाडी एवं वाडी वहील में
कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मूलवाद
प्रकरण अदम धजिरी एवं पैखी में
खारिज हो चुका है। मूलवाद का निष्काशन
हो जाने से प्रा० पत्र 212 RT Act का
कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः प्रा० पत्र
212 RT Act की कार्यवाही हॉप की जाती
है पत्रावली अदम पैखी में खारिज फैसल
शुमार होकर रजिस्टर से काट दी जावे।
सचिव मूलवाद है।

500